

12. गरीबी रेखा से नीचे का विवरण

वर्ष

:

विकासखण्ड/नगरीय निकाय

:

परिवार पहचान सर्वे क्रमांक

:

सदस्य पहचान क्रमांक

:

12. निराश्रित संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न

: हां नहीं

(सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा सुखद सहाय योजना अन्तर्गत स्वीकृत हितग्राहियों के लिए)

*14. लिंग

: पुरुष महिला

15. जन्मतिथि

:

*16. उम्र

: वर्ष/माह/दिन

17. वार्षिक आय

:

*18. वर्ग

: अजा अजजा अपित सामान्य

अल्पसंख्यक

: हां नहीं

19. विधवा/परित्यक्त (✓ चिन्ह लगाये)

: हां नहीं

20. विकलांग

: हां नहीं

21. निःशक्तता का प्रकार -I

:

22. निःशक्तता का प्रतिशत

:

23. निःशक्तता का प्रकार -II

:

24. निःशक्तता का प्रतिशत

:

25. मतदाता परिचय पत्र (इपिक) नम्बर

:

26. आधार कार्ड नम्बर

:

27. राशन कार्ड नम्बर

:

*28. भुगतान का तरीका

: बैंक पो.आ. नगद म.आ.

बैंक / पोस्ट आफिस का नाम	:	<input type="text"/>
शाखा का नाम	:	<input type="text"/>
खाता क्रमांक	:	<input type="text"/>
आई.एफ.एस.सी. (IFSC) कोड	:	<input type="text"/>
29. सत्यापन कर्ता	:	<input type="text"/>

30. संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण

क्र.	प्रपत्र	जारी दिनांक	जारीकर्ता
1.	आयु प्रमाण पत्र (सरपंच अथवा शहरी क्षेत्र की दशा में महापौर/प्रशासक/अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/जन्म पंजी/चिकित्सक का प्रमाणपत्र/स्कूल प्रमाणपत्र) (समी पेंशन योजनाओं हेतु अनिवार्य)		
2.	निवास प्रमाण पत्र (राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी अथवा सरपंच/पार्षद द्वारा जारी) (समी पेंशन योजनाओं हेतु अनिवार्य)		
3.	निःशक्तता प्रमाण पत्र (निःशक्त व्यक्ति अधिनियम-1995 के प्रावधान अनुसार जारी प्रमाण पत्र) (सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं इंगारा निःशक्त पेंशन योजना हेतु अनिवार्य)		
4.	मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा हेतु) (संबंधित ग्राम/नगरीय निकाय के वार्ड पंच/पार्षद द्वारा प्रमाणित) (सुखद सहारा एवं इंगारा विधवा पेंशन योजना हेतु अनिवार्य)		
5.	पति द्वारा छोड़े जाने का प्रमाण पत्र (परित्यक्त हेतु) (संबंधित ग्राम/ नगरीय निकाय के वार्ड पंच/पार्षद द्वारा प्रमाणित) (सुखद सहारा योजना हेतु अनिवार्य)		
6.	6-14 आयुवर्ग के निःशक्तजनों के लिए स्कूल जाने का प्रमाण पत्र (संबंधित स्कूल के प्राचार्य/प्रधान अध्यापक द्वारा जारी) (सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु अनिवार्य)		
7.	बौने हेतु प्रमाण पत्र (प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा जारी) (सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु अनिवार्य)		

-:घोषणा पत्र :-

मैं श्री/श्रीमती/कुमारीपिता/पति.....
निवासीसत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि ऊपर बताई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही है। यदि ऊपर लिखी जानकारी असत्य पाई जावे तो शासन नियमानुसार कार्यवाही कर सकेगा।

(आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी)

31. आवेदन का परीक्षण : पात्र अपात्र

कारण टीप के साथ :

सत्यापनकर्ता अधिकारी का टीप :

(हस्ताक्षर व पदमुद्रा)

नाम :

पदनाम : सरपंच/सचिव/नगरीय निकाय का
अधिकारी/पार्षद

छटनीकर्ता का टीप :

(छटनीकर्ता का हस्ताक्षर व पदमुद्रा)

नाम :

पदनाम : समाज शिक्षा संगठक/नगरीय निकाय के
अधिकारी

अनुमोदनकर्ता का टीप :

(अनुमोदनकर्ता का हस्ताक्षर व पदमुद्रा)

नाम :

पदनाम : मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जपं/नगरीय निकाय के अधिकारी

नोट :- * चिन्ह वाले स्थानों को भरा जाना आवश्यक है।

प्राप्त आवेदन - पत्र की अभिस्वीकृति

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन/इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन/ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना/सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना/सुखद सहारा योजना अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु -

श्री/श्रीमती/कुमारीपता.....

..... का आवेदन पत्र आज दिनांकको नगर
पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम/ग्राम पंचायत.....कार्यालय में प्राप्त हुआ।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
एवं नाम व पद मुद्रा

प्रारूप-1
[भाग-दो]

आयु प्रमाण पत्र

(यह प्रमाण पत्र आवेदक के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा तथा शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के द्वारा दिया जावेगा)

मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि (आवेदक का नाम वल्लिदयत सहित)

..... निवासी (वर्तमान पूर्ण पता सहित) ..

वृद्ध/विधवा/परित्यक्ता/निःशक्त है। आवेदक वयस्क है तथा निर्वाचक नामावली के आधार पर आवेदक की वर्तमान आयु वर्ष है/आवेदक अवयस्क है, तथा ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा संधारित जन्म पंजी या चिकित्सक के प्रमाण पत्र या स्कूल के प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदक की वर्तमान आयु वर्ष है।

आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है।

प्रमाणकर्ता के हस्ताक्षर
(नाम एवं पदमुद्रा सहित)
ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी

स्थान

दिनांक